an>

Title: Need to include Aadhaar number in Voters list.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय अध्यक्ष महोदया जी, हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। देश के सभी नागरिकों को अपना जन प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, यह अधिकार भारत के संविधान द्वारा दिया गया है। अगर देश के प्रत्येक चुनाव को देखा जाए, तो केवल 50–60 प्रतिशत लोग ही अपने जन प्रतिनिधि को चुनने के लिए मतदान करते हैं, लेकिन कई सारे लोग मतदान नहीं करते हैं। कई ऐसे मतदाता हैं, जिनका नाम तीन–चार जगहों पर वोटिंग लिस्ट्स में होता है। कई जिलों व राज्यों में ऐसे नागरिक हैं, जो नौकरी या व्यवसाय के काम से बाहर चले जाते हैं, उनका नाम कई वोटिंग लिस्ट में होता है। हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार होना चाहिए, लेकिन देश में एक मतदाता का नाम एक ही वोटिंग लिस्ट में होना चाहिए, उसे एक ही जगह मतदान करने का अधिकार होना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि देश के सभी नागरिकों का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। ऐसा कानून होना चाहिए कि सभी वोटिंग लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ दिया जाए। अगर आधार कार्ड का एक ही नंबर सभी वोटिंग लिस्ट से जोड़ा जाता है तो देश में कहीं पर भी बोगस वोटिंग नहीं होगी। मैं आपसे इसकी मांग करता हूं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।